

अवकाश यात्रा रियायत के लिए आवेदन

1.	सरकारी कर्मचारी का नाम और पदनाम																												
2.	केंद्र सरकार की सेवा में आने की तारीख																												
3.	वर्तमान वेतन																												
4.	स्थायी हैं अथवा अस्थायी																												
5.	सेवा पंजिका में यथा दर्ज होम टाउन																												
6.	क्या रियायत होम टाउन जाने के लिए ली जा रही है और यदि हां तो ब्लॉक जिसके लिए अवकाश यात्रा रियायत ली जा रही है																												
7.	यदि रियायत "भारत में किसी स्थान पर जाने के लिए ली (क) गई है तो भ्रमण का स्थान"																												
(ख)	ब्लॉक जिसके लिए यह रियायत ली जाएगी																												
(ग)	मुख्यालय से होम टाउन/यात्रा स्थल की दूरी																												
(घ)	यात्रा स्थल का नाम और उसका निकटतम रेलवे स्टेशन																												
8.	पिछली बार यात्रा रियायत कब ली गई थी? विवरण दें																												
9.	क्या रियायत का दावा स्वयं और/या परिवार के लिए किया जा रहा है																												
10.	आवेदन किए गए/स्वीकृत अवकाश का विवरण																												
11.	व्यक्ति, जिनके संबंध में प्रस्तावित अवकाश किराया रियायत ली जा रही है :																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">क्र.सं.</th> <th style="width: 60%;">नाम और आयु</th> <th style="width: 30%;">संबंध</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8.</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	नाम और आयु	संबंध	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.			8.			
क्र.सं.	नाम और आयु	संबंध																											
1.																													
2.																													
3.																													
4.																													
5.																													
6.																													
7.																													
8.																													
12.	जावक यात्रा की तारीख																												

13.	क्या अवकाश किराया रियायत अग्रिम की आवश्यकता है	
14.	क्या आपकी पत्नी/पति सरकारी कर्मचारी हैं	
(क)	प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/पति, जिनके लिए मैंने अवकाश यात्रा रियायत का दावा किया है, में (सार्वजनिक क्षेत्र/उपक्रम/निगम/ स्वायत्त निकाय आदि का नाम दें) सेवारत हैं जहां अवकाश यात्रा रियायत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, परन्तु उन्होंने अपने नियोक्ता से इस संबंध में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया और न ही करेंगे/करेंगी।	
(ख)	जहां सरकारी कर्मचारी की पत्नी/पति नौकरी में नहीं है, संबंधित सरकारी कर्मचारी को निम्नानुसार प्रमाणपत्र देना चाहिए :- "प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/पति, जिनके लिए मैंने अवकाश यात्रा रियायत का दावा किया है, केंद्र सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः वित्त पोषित किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र/उपक्रम/निगम/ स्वायत्त निकाय आदि में सेवारत नहीं हैं, जो अपने कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को अवकाश यात्रा रियायत सुविधाएं प्रदान करती हैं। मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर प्रस्तुत किए गए विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही हैं। मैं अग्रिम प्राप्ति के दस दिनों के भीतर जावक यात्रा के टिकट प्रस्तुत करने का वचन देता हूं। यात्रा रद्द हो जाने अथवा मेरे द्वारा अग्रिम प्राप्ति के दस दिनों के भीतर टिकट प्रस्तुत करने में असफल रहने की स्थिति में, मैं सम्पूर्ण अग्रिम एक-मुश्त वापस करने का वचन देता हूं।	

(सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर)

अवकाश के दौरान पता :-

.....
.....
.....

दिनांक :

सरकारी कर्मचारी द्वारा स्व-प्रमाणन के लिए प्रोफॉर्म

मैं, श्री/श्रीमती/सुश्री.....(सरकारी कर्मचारी का नाम) पुष्टि करता हूँ कि मैं (यात्रा की तारीख) के दौरान (यात्रा का स्थान) जाने हेतु ब्लॉक वर्ष के लिए स्वयं/परिवार के सदस्यों के संबंध में (होम टाउन/भारत में किसी स्थान) अवकाश यात्रा रियायत सुविधा ले रहा हूँ। यह भी सूचित किया जाता है कि मैं अथवा परिवार के सदस्य, जिनके लिए मैं अवकाश यात्रा रियायत ले रहा हूँ, ने वर्तमान ब्लॉक में पहले इसका लाभ नहीं लिया है।

2. परिवार के सदस्यों, जिनके संबंध में अवकाश यात्रा रियायत का दावा किया जा रहा है, के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	नाम	आयु	सरकारी कर्मचारी के साथ संबंध

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्य सत्य हैं तथा किसी गलत विवरण के लिए मैं सीसीएस (एलटीसी) नियम, 1988 के नियम 16 तथा संबंधित अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हूँगा।

* टिप्पणी : सरकारी कर्मचारी अवकाश यात्रा रियायत लेते समय भ्रमण किए गए स्थान की मनोरंजक पहचान और चित्र, यदि कोई हैं, किसी उपयुक्त फोरम पर साझा कर सकते हैं।

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
प्रशासन अनुभाग

विषय : श्री/श्रीमती/सुश्री....., पदनाम
को अवकाश यात्रा रियायत प्रदान करना

श्री/श्रीमती/सुश्री....., पदनाम ने (1) केवल स्वयं/पत्नी और के लिए ब्लॉक वर्ष हेतु "भारत में किसी स्थान/होमटाउन/होमटाउन के बदले पर जाने के लिए अवकाश यात्रा रियायत (2) दिन अर्जित अवकाश नकदीकरण और (3) दिनांक से दिनांक तक दिनों के अर्जित अवकाश (दिनांक और दिनांक को जोड़ कर, जो सप्ताहांत हैं) के लिए आवेदन किया है, जिसकी स्वीकृति उनके नियंत्रक अधिकारी द्वारा पहले ही प्रदान कर दी गई है। आगे की यात्रा की तिथि दिनांक से प्रारम्भ होती है। निकटतम रेलवे स्टेशन/हवाईअड्डा है।

2. उन्होंने अनुमानित किराए के 90% अवकाश यात्रा रियायत अग्रिम के लिए अनुरोध किया है। कैलकुलेशन शीट के अनुसार, हम रुपये/- अग्रिम के तौर पर स्वीकृत कर सकते हैं जो दिल्ली से तक के जाने और वापसी किराए का लगभग 90% है।

3. आवेदन किया गया अवकाश/अवकाश यात्रा रियायत देय है तथा स्वीकार्य है जिसकी स्वीकृति अनुमोदन के लिए नीचे प्रस्तुत किए गए प्रारूप आदेश के अनुसार श्री/श्रीमती/सुश्री..... को की जा सकती है।

4. श्री/श्रीमती/सुश्री....., पदनाम की सेवा पंजी/अवकाश लेखा में की गई आवश्यक प्रविष्टियों पर अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

5. कृपया निदेशक (प्रशासन) के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है। अवर सचिव (प्रशासन) के हस्ताक्षरों के लिए डीएफए कृपया नीचे प्रस्तुत किया गया है।